न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 332/2026

(C.N.R. UPET010008252026)

भूपेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र शेर सिंह, निवासी मोहल्ला नगला दुर्जन, कस्बा व थाना निधौली कलॉ, जिला एटा। -----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार -----विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–452/2025
धारा–64(1),351(2) बी०एन०एस०
थाना–जलेसर, जिला एटा।

19.03.2026

आवेदक/अभियुक्त **भूपेन्द्र** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**452/2025**, धारा–**64(1),351(2) बी०एन०एस०**, थाना–**जलेसर**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी की पुत्री/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष, जो अकेली दिनांक 14.10.2025 को समय करीब सायं 03 बजे घर से एटा की कहकर गयी थी। वादिनी ने अपनी पुत्री के मो0 नं0 63981XXXXX पर फोन किया तो वह नम्बर स्विच ऑफ आ रहा है। वह अपनी पुत्री की उसी दिन से तलाश कर रही है, ना तो उसकी पुत्री का फोन लग रहा है और ना ही उसका कहीं कोई पता चला है। उसके द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पुत्री को अकील अपने ऑटो में बिठाकर ले गया था। जब उसने व उसके परिवारीजनो के द्वारा अकील के घर जाकर जानकारी की गयी तो उसकी पुत्री को अकील ने अपने घर पर दिनांक 15 व 16.10.2025 को रोका था, उसके बाद वह अकील के साथ कहीं चली गयी है। उसकी पुत्री को अकील बहला फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से भगा ले गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है। उसे मुकदमा उपरोक्त में मोहल्ले की पार्टीबंदी व रंजिश के कारण झूँठा फँसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.19 17:06:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करायी गयी है, जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक नामजद अभियुक्त नहीं है। कथित घटना के सम्बन्ध में कोई मेडीकल साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई प्रत्यक्षदर्शी नामित नहीं है। उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। उसके द्वारा कथित घटना से सम्बन्धित कोई कृत्य नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरूद्ध बलात्कार का कोई आरोप नहीं है। उसके विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० विरोधाभाषी हैं। आवेदक से पीड़िता की बरामदगी नहीं हुई। वास्तव में पीड़िता वालिग है और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी की पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया, जिसका समर्थन पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में किया है। यह भी कहा गया है कि कोई भी महिला ऐसे घिनाने अपराध का आरोप झूँठा नहीं लगा सकती है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी की पुत्री/पीड़िता के साथ बलात्कार करने का अभियोग है, जबकि पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अपनी मर्जी से अलीगढ़ जाकर रूकना एवं उसके साथ कोई गलत काम नहीं होने का कथन किया है। पीड़िता की बरामदगी आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त कथित घटना दिनांक 14.10.2025 की होना अभियोजन द्वारा बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से 18.10.2025 को दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० एवं 183 बी०एन०एस०एस० में बृहद विरोधाभास है। केस डायरी में पीड़िता की आयु शैक्षिक प्रमाण–पत्र के अनुसार 18 वर्ष 04 माह होना अंकित है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.01.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **भूपेन्द्र** की ओर से अपराध संख्या– **452/2025** धारा– **64(1),351(2) बी०एन०एस०,** थाना–**जलेसर**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 19.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538